

राष्ट्रीय लोक अदालत -2017

लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:-दामोदर पुत्र ज्वारा जाति गूर्जर निवासी बन का खेडा तहसील  
टोडारायसिंह जिला टोंक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:- तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:- 30/2017

उपस्थित:-श्री राजेश गूर्जर II अभि० अपीलाण्ट /श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभि० रेस्पो.

अध्यक्ष :-श्री लोकेश कुमार गौतम, अति० जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य 1-डॉ० सूरज सिंह नेगी, उपखण्ड अधिकारी, टोंक

2- श्री विजय बहादुरसिंह सोलंकी, अभिभाषक

निर्णय


दिनांक 11.02.2017

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:-


अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोड़ने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है या पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 182 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।



याची/वादी/परिवादी  
अभिभाषक



प्रतिवादी/प्रत्यर्थी  
राजकीय परोकार



सदस्य  
अधिवक्ता



सदस्य  
उपखण्ड अधिकारी  
टोंक



अध्यक्ष  
अति० जिला कलेक्टर  
राजकीय परोकार  
टोंक

